राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)

एफ 40(14)ग्रावि / नरेगा / मैन्यूअल / 2010–11 जयपुर, दिनांकः 29 MAR 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्यो के माडल तकमीने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के परिशिष्ठ–3 में वर्णित व्यक्तिगत लाभ के कार्यो के मॉडल तकमीनों में संशोधन किया जाता है। उक्त संशोधन के अनुसार परिशिष्ठ–3 के पृष्ठ संख्या 155 से 174 के स्थान पर व्यक्तिगत लाभार्थियों हेतु चुनिंदा निम्न 17 कार्यो के मॉडल तकमीनें मय ड्राइंग, डिजाईन, स्पेसिफिकेशन एवं Material Consumption के सम्पूर्ण विवरण के साथ गाईड लाईन के रूप में दिये जा रहे हैं।

मॉडल तकमीनों की सॉफ्ट कापी विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर सम्बन्धित लिंक NREGS Rajasthans पर उपलब्ध हैं। कनि० अभियन्ता / कनि० तकनीकी सहायक द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार वास्तविक तकमीनें जिले की बी.एस.आर. से बनाये जावें।

क.स	कार्य का नाम
1	निजी खेतों में फार्म पॉण्ड निर्माण (सिर्फ बण्ड किनारे पर पिचिंग सहित)
2	निजी खेतों में फार्म पॉण्ड निर्माण (चारों किनारों पर पिचिंग सहित)
3	निजी कृषि भूमि मे टांका निर्माण मय पक्का पायथन
4	निजी कृषि भूमि मे टांका निर्माण मय कच्चा पायथन
5	निजी खेतों पर पानी की डिग्गी निर्माण (ईंट की लाइनिंग सहित) क्षमता 5.67 लाख लीटर
6	कृषि भूमि में खडीन निर्माण
7	निजी बारानी खेतों में बन्डिंग निर्माण
8	निजी खेतों में पक्की सहायक सिंचाई नालीयों का निर्माण (Water Course)
9	निजी खेतों में सूखे पत्थर के चेक डेम निर्माण (8m x 0.90 m) (जहां नाले के किनारे कच्चे हों)
10	निजी खेतों में सूखे पत्थर के चेक डेम निर्माण (8m x 0.60 m) (जहां नाले के किनारे कच्चे हों)
11	निजी खेतों में सूखे पत्थर के चेक डेम निर्माण (8m x 0.60 m) (जहां नाले के किनारे पक्के हों)
12	निजी खेतों में स्टोन वाल फेंसिग निमार्ण (सिफ फैंसिग कार्य अनुमत नही)
13	निजी खेतों में थोर फंसिंग कार्य (सिफ फैंसिग कार्य अनुमत नही)
14	निजी बंजड भूमि में चारा उत्पादन एवं वृक्षारोपण कार्य
15	निजी खेतों की भूमि में मेड के चारों ओर वृक्षारोपण कार्य (Boundry Plantation)
16	फलदार पौधारोपण कार्य
17	निजी बंजड भूमि में चारा उत्पादन एवं रतनजोत वृक्षारोपण कार्य

भवदीय,

28/3/11
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।
5. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
6. श्री मुकेश विजय, अधिशाषी अभियंता ईजीएस को वास्ते विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस